

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव  
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 12 / 2025

अन्तर्गत धारा 53, 92, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
अंजुदेवी पत्नी किशोरसिंह जाति जाट, निवासी जोगासर, बायतु हाल निवासी उण्डू तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. खातुमेहर पत्नी आरबखान 2. नमीयतमेहर पत्नी सफीमोहम्मद 3. लाछीमेहर पत्नी तोगाचीखान 4. हीरादेमेहर पत्नी उरमानखान जाति मुसलमान, निवासी मेहरों की ढाणी तहसील फतेहगढ़, जिला जैसलमेर 5. जनता ग्लोबल एग्री जरिये निजाम खान पुत्र नुरेखान जाति मुसलमान, निवासी हनुमानपुरा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 6. शाखा प्रबंधक, आईसीआईसीआई शाखा लखा 7. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव 8. राज. राज्य जरिये नायब तहसीलदार भीयाड़

उपस्थित :- अधिवक्ता वादीनी - श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 13.03.2026

वादीनी अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादीनी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री अनुसार होने एवं वादीनी अधिवक्ता को स्वीकार होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल उण्डू के ग्राम जाटावास के खेत खसरा नम्बर 955/491 रकबा 12.1406 हैक्टेयर तथा ग्राम उण्डू के खेत खसरा नम्बर 1087/465 रकबा 0.1619 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है -


क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	अंजुदेवी पत्नी किशोरसिंह जाति जाट सा. जोगासर बायतु खातेदार	जाटावास	955/491	2.0234	बा.अ.	-	गुलाबी
2	खातुमेहर पत्नी आरबखान हि. 1/5 सा. मेहरों की ढाणी रहन आईसीआईसीआई बैंक लखा, जनता ग्लोबल एग्री जरिये निजामखान पुत्र नुरेखान हि. 1/5 सा. देह संस्था के लिए, नमीयतमेहर पत्नी सफी माहम्मद सा मेहरों की ढाणी रहन आईसीआईसीआई बैंक लखा, लाछीमेहर पत्नी तोगाचीखान हि 1/5 सा. मेहरों की ढाणी रहन आईसीआईसीआई बैंक लखा, हीरादेमेहर पत्नी उरमानखान 1/5 सा. मेहरों की ढाणी रहन आईसीआईसीआई बैंक लखा	जाटावास	955/491	10.1172	बा.अ.	-	नीला




सहायक कलक्टर  
शिव (बाड़मेर)

बदस्तुर जमाबंदी अनुसार सामलाती	उण्डू	1087 / 465	0.1619	गै.मु. रास्ता	-	-
--------------------------------	-------	------------	--------	------------------	---	---

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

  
सहायक कमिश्नर  
(SDO) शिव  
शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 से इजलास सुनाया गया।

  
सहायक कमिश्नर  
(SDO) शिव  
शिव (बाड़मेर)